CCJSW

असाइनमेंट 2026–2027

आपराधिक न्याय समाज कार्य में प्रमाणपत्र (CCJSW)

ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट (TMA)

MSW-131 | MSW-132 | MSW-133 | MLE-016

दिसम्बर 2026 एवं जून 2027 की सत्रांत परीक्षाओं के लिए लागू

समाज कार्य विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – 110068

असाइनमेंट जमा करने संबंधी निर्देश: 2026–2027

प्रिय विद्यार्थी,

हम आशा करते हैं कि आपने आपराधिक न्याय समाज कार्य में प्रमाणपत्र (CCJSW) की प्रोग्राम गाइड को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र बनने हेतु निर्धारित समय के भीतर असाइनमेंट पूरा करना आवश्यक है। CCJSW के सभी असाइनमेंट ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट (TMA) हैं और सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जुलाई 2026 और जनवरी 2027 सत्रों में नामांकित शिक्षार्थियों के लिए MSW-131, MSW-132, MSW-133 और MLE-016 पाठ्यक्रमों के अलग-अलग असाइनमेंट दिए गए हैं।

असाइनमेंट लिखने से पहले पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ्यक्रम या असाइनमेंट से संबंधित किसी भी शंका अथवा समस्या के लिए अपने अध्ययन केंद्र के संबंधित अकादमिक काउंसलर से संपर्क करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि पहले पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करें और उसके बाद असाइनमेंट तैयार करें। असाइनमेंट तैयार करने संबंधी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। आपके उत्तर स्व-अध्ययन के लिए उपलब्ध पाठ्य-सामग्री/ब्लॉकों की शब्दशः पुनरावृत्ति नहीं होने चाहिए।

असाइनमेंट हस्तलिखित होना चाहिए और शिक्षार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रथम पृष्ठ पर पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कोड, विद्यार्थी का नाम, नामांकन संख्या आदि विवरण अवश्य दिए जाने चाहिए।

निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना असाइनमेंट आपको आवंटित अध्ययन केंद्र पर जमा करें और उसकी रसीद प्राप्त करें। **भविष्य के संदर्भ/उपयोग के लिए प्रत्येक असाइनमेंट की एक प्रति अपने पास रखना अपेक्षित है।**

असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से www.ignou.ac.in देखें।

उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर असाइनमेंट पूरा करने के लिए आपको शुभकामनाएँ।

डॉ. बिनोद कुमार
कार्यक्रम समन्वयक
ईमेल: binodkumar@ignou.ac.in
ccjswinfo@ignou.ac.in

कमजोर समूहों का संरक्षण एवं कानूनी उपाय

पाठ्यक्रम कोड: MSW-133

अधिकतम अंक – 100

नोट:

निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी **पाँच** के उत्तर लगभग **300** शब्दों में दीजिए।

सभी प्रश्न **समान** अंक के हैं।

1. व्यवसाय और मानवाधिकार के उभरते क्षेत्र को समझाइए। व्यवसाय और मानवाधिकार पर भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 20
2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार "यौन उत्पीड़न" शब्द को परिभाषित कीजिए। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित विधिक व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। 20
3. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 20
4. . बाल संरक्षण के कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण तक के विकास को समझाइए। 20
5. लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रकृति एवं कारणों की चर्चा कीजिए। कानूनी सुरक्षा उपायों एवं संस्थागत प्रतिक्रियाओं को समझाइए। 20
6. आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर भेदभाव, बहिष्करण और बाधाएँ कमजोर समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? अधिकार-आधारित संरक्षण के उपायों की चर्चा कीजिए। 20
7. मानवीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक आवश्यक घटक के रूप में कैदियों के अधिकारों को समझाइए। 20
8. पीड़ित विज्ञान के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विकास का पता लगाइए। पीड़ितीकरण के मनोसामाजिक पहलुओं की चर्चा कीजिए। 20